**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**

**योजना विभाग**

**चौथा स्तर, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली -110002**

F. No. 18(88)/Monit./Plg/2018-19/6596-6597 **दिनांक: 06, अगस्त**, 2018

सेवा में,

उप सचिव(प्रश्न शाखा) ,
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय दिल्ली -110054.

**विषय: माननीय सदस्य श्री. विजेन्द्र गुप्ता, दिल्ली विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के सन्दर्भ में दिनांक 07.08.2018 के उत्तर हेतु |**

महोदय,

आपके पत्र संख्या सं. एफ.11(बी-1) VI/2015-20/वि.स.स./ प्रश्न शा./ 4955 दिनांक 30.07.2018 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री. विजेन्द्र गुप्ता, दिल्ली विधानसभा द्वारा पूछे गए **अतारांकित** प्रश्न संख्या 136 के लिए योजना विभाग के सम्मलित (consolidated) उत्तर की 100 प्रतियाँ संलग्न है |

यह उत्तर माननीय उप मुख्य मंत्री की स्वीकृति से भेजा जा रहा है|

भवदीय,

**(शान-ए-आलम)**
उप निदेशक (योजना)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

F. No. 18(88)/Monit./Plg/2018-19/6596-6597 **दिनांक: 06, अगस्त**, 2018

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: सूचना एवं प्रचार निदेशालय**, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054 (**150 प्रतिलिपियाँ संलग्न**) |

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र**

**योजना विभाग**

**चौथा स्तर, बी- विंग , दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली -** 110002

**अतारांकित प्रश्न संख्या-** 136

**दिनांक- मंगलवार** 07 **अगस्त** 2018

**प्रश्नकर्ता का नाम - श्री विजेंद्र गुप्ता**

**क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-:**

| **प्रश्न** | **उत्तर** |
|---|---|
| **क**( वर्ष 2017-18 व 2018-19 के दौरान पेश किये गए बजट में घोषित किस -किस विभाग की कितनी - कितनी योजनओं पर काम प्रारंभ नहीं हो सका है । | बजट 2017–18 में घोषित योजनाओं के विषय में कुछ प्रमुख विभागों में काम प्रारंभ न होने की जानकारी संलग्नक 'क' में उपलब्ध है । |
| **ख**(इन योजनाओं पर काम प्रारंभ न हो पाने के क्या कारण है; | |
| **ग** (इन योजनओं के लिए सरकार द्वारा प्रति योजना कुल कितनी राशि आबंटित की गई थी ; | |
| **घ** (क्या सत्य है की सरकार ने योजना संबंधी जानकारियां जैसे योजना, आबंटित राशि , व्यय की गई राशि तथा योजना की प्रगति वेबसाइट पर डालनी बंद कर दी है ; | जी नहीं । |
| ड.( यदि हाँ , तो इसके क्या कारण हैं ; और | लागू नहीं । |
| **च** (क्या सरकार उपरोक्त जानकारी पुन: नेट पर उपलब्ध कराने का विचार कर रही है | |

अनुबंध 'क'

बजट 2017–18 में घोषित योजनाओं के विषय में काम प्रारंभ न होने की विभागवार जानकारी निम्नलिखित है।

| क्रम संख्या | वर्ष | विभाग | योजना का नाम | प्रारंभ न होने के कारण | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | 2017-18 | पर्यटन विभाग | "गार्डन ऑफ़ फाइव सैंसेस" में रात्रि-हब और लक्जरी-भोजन की सुविधा स्थापित करने | डीडीए से यह पता चला है कि 'मास्टर प्लान दिल्ली-2021' के अनुसार, इस क्षेत्र का भूमि उपयोग क्षेत्रीय पार्क के लिए है।<br><br>'मास्टर प्लान दिल्ली-2021' के प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्रीय पार्क के रूप में नामित क्षेत्र का उपयोग केवल "रिज, आवासीय फ्लैट (वाच और वार्ड के लिए), पिकनिक हट, पार्क, शूटिंग-रेंज, जूलॉजिकल-गार्डन, पक्षी-अभयारण्य, बॉटनिकल-गार्डन, स्थानीय सरकारी कार्यालय (रखरखाव), ओपन एयर थिएटर, पुलिस पोस्ट, फायर पोस्ट, ऑर्चर्ड, प्लांट नर्सरी और वन के लिए होगा।"<br><br>इसके अनुसार, मौजूदा मास्टर प्लान दिल्ली-2021 के तहत गार्डन ऑफ फाइव सैंसेस में रात्रि-हब की सुविधा स्थापित करना संभव नहीं है। | रू. 50.00 लाख |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2017-18 | **पर्यटन विभाग** | पांच किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास इकोलोजिकल रिवर फ्रंट वजीराबाद के अपस्ट्रीम में बनाना। यमुना नदी के रिवरफ्रंट योजना के तहत एक ऐसी जगह का निर्माण करना जो लोगों को प्रकृति और यमुना नदी से जुड़ने की प्रेरणा दे। | यमुना नदी के साथ वजीराबाद से जैतपुर तक चार चरणों में नदी के विकास के लिए, डीडीए एक अग्रणी एजेंसी है। चूंकि नदी डीटीटीडीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और डीडीए पहले से ही इस योजना पर काम कर रही है जिसके चलते अब तक डीटीटीडीसी को कोई काम नही सौंपा गया है। | रू. 50.00 करोड़ |
| 1 | 2017-18 | **वन विभाग** | विश्व स्तरीय सुविधा के साथ 6 एकड़ के क्षेत्र में, राजोकरी में एक प्रथम वन्य जीव (पक्षी) बचाव केंद्र विकसित करना। | रजोकरी में बर्ड एवं वाइल्ड रेस्क्यू सेंटर की योजना का प्रस्ताव 1.24 एकड़ जगह, जो कि पहले बंदरों के आश्रय के लिए था, वहां प्रस्तावित किया गया। RMB से अनुमोदन के बाद यह प्रस्ताव सेन्ट्रल एमपावर्ड कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के पास लम्बित है। | |
| 1 | 2017-18 | **परिवहन विभाग** | मेट्रो फेज IV | प्रस्ताव केंद्र एवं दिल्ली सरकार के विचाराधीन है | ------ |
| 2 | 2017-18 | **परिवहन विभाग** | मेट्रो यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए 582 अतिरिक्त रोलिंग स्टॉक खरीदना। | प्रस्ताव केंद्र एवं दिल्ली सरकार के विचाराधीन है। | ------- |
| 1 | 2017-18 | स्वास्थ्य | 2017–18 में हैल्थ कार्ड तथा यूनिवर्सल हैल्थ केयर इन दिल्ली योजनाओं का प्रारंभ नहीं हो पाया। | हैल्थ कार्ड में कौन सा डेटा कैप्चर किया जायेगा इसका निर्णय 2017–18 में नहीं हो पाया। इसका निर्णय 19–04–2018 को लिया गया। हैल्थ कार्ड का इस्तेमाल किन चीजों के लिए किया जायेगा इसका | रू 20 करोड़ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निर्णय 23–05–2018 को लिया गया। 28–06–2018 को निर्णय लिया गया कि आर.एफ.पी. बनाने के लिए कंसल्टेंट की सेवा ली जायेगी। ड्राफ्ट आर.एफ.पी. तैयार कर लिया गया है।<br>यूनिवर्सल हैल्थ केयर इन दिल्ली में योग्यता, इन्शोरेन्स कवर तथा आर.एफ.पी. तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय एम्पावर्ड कमेटी का गठन दिनांक 18–12–2017 को प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की दी गई यूनिवर्सल हेल्थकेयर इन दिल्ली तथा आयुष्मान भारत को समन्वय करने के पश्चात् उच्चस्तरीय एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी अनुशंसा दिनांक 15 जून, 2018 को दिया। आयुष्मान भारत योजना तथा यूनिवर्सल हैल्थकेयर इन दिल्ली की संधि के लिए भारत सरकार से एम.ओ.यू. हस्ताक्षर की अनुमति के लिए फाइल वित्त, योजना तथा विधि विभाग को भेजा गया। वित्त तथा योजना विभाग से अनुमति मिल चुकी है तथा विधि विभाग से अनुमति मिलना शेष है। | |
| 1 | 2017-18 | शिक्षा | माध्यमिक विद्यालय के लिए 400 नए पुस्तकालय खोलना । | योजना का क्रियान्यवन नहीं हो पाया है क्योकि लोक निर्माण विभाग कार्य नहीं कर सका । | रू 15 करोड़ |